सं0सं0–9 / आ0–08–17 / 2024

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

!!संकल्प!!

चूँकि बिहार राज्यपाल को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि **डॉ० आलोक राज, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमण्डलीय अस्पताल, त्रिवेणीगंज, सुपौल के विरूद्ध दिनांक–02.08.2023 से 17.12.2023 तक एवं दिनांक–09.05.2024 से 12.08.2024 तक** अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने जैसा कि आरोप पत्र में अन्तर्विष्ट है। इसलिए बिहार राज्यपाल ने संकल्प किया है कि उक्त **डॉ० राज** के विरूद्ध अनुबंध में वर्णित आरापों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की जाए।

2. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रण एव अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के अधीन **डॉ० अलका सिन्हा, अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार** को संचालन पदाधिकारी तथा **प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–9** को सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. **डॉ० राज** से यह अपेक्षा की जाती है कि वें संचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति के दस कार्य दिवस के पश्चात् किसी भी समय जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, स्वयं उपस्थित हो।

4. इसमे माननीय स्वास्थ्य मत्री जी की सहमति प्राप्त है।

आदेश–आदेश दिया जाता है कि इस सकल्प एक प्रति सचालन पदाधिकारी / उपस्थापन पदाधिकारी / आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एव आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0– /

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9 / आ0–08–17 / 2024(स्वा0) 402(9) / **पटना, दिनांक :** 28.4.25

प्रतिलिपिः–आरोप पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति सहित डॉ० अलका सिन्हा, अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध के साथ अग्रसारित की जाती है कि वे अविलम्ब इसकी जॉच कर अधिगम तीन माह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा करेंगें।

प्रतिलिपिः–आरोप पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति सहित प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा--09, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (उपस्थापन पदाधिकारी) को उपस्थापन दाखिल करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–डॉ० आलोक राज, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमण्डलीय अस्पताल, त्रिवेणीगज, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

28/04/2025

सरकार के अवर सचिव।

21.5.25